बिल का सारांश

वक्फ (संशोधन) बिल, 2024

- वक्फ (संशोधन) बिल, 2024 को 8 अगस्त, 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। यह बिल वक्फ एक्ट, 1995 में संशोधन करता है। एक्ट भारत में वक्फ संपत्ति को रेगुलेट करता है। एक्ट के तहत वक्फ को मुस्लिम कानून के तहत पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ माने जाने वाले उद्देश्यों के लिए चल या अचल संपत्ति की बंदोबस्ती के रूप में परिभाषित किया गया है। वक्फ के प्रबंधन के लिए प्रत्येक राज्य को एक वक्फ बोर्ड का गठन करना होता है। बिल एक्ट का नाम बदलकर 'संयुक्त वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास एक्ट, 1995' करता है।
- **वक्फ का गठन**: एक्ट में निम्नलिखित के जरिए वक्फ के गठन की अनुमति है: (i) घोषणा, (ii) दीर्घकालिक उपयोग (उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ) के आधार पर मान्यता, या (iii) उत्तराधिकारी न रहने पर बंदोबस्ती (वक्फ-अलल-औलाद)। बिल में कहा गया है कि कम से कम पांच वर्ष तक इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्फ की घोषणा कर सकता है। बिल स्पष्ट करता है कि घोषित की जा रही संपत्ति पर व्यक्ति का स्वामित्व होना चाहिए। बिल उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को हटाता है। इसमें यह भी कहा गया है कि वक्फ-अलल-औलाद के परिणामस्वरूप दाता के उत्तराधिकारी, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, को विरासत के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
- **वक्फ के तौर पर सरकारी संपत्ति**: बिल में कहा गया है कि वक्फ के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं रहेगी। अनिश्चितता की स्थिति में क्षेत्र का कलेक्टर स्वामित्व का निर्धारण करेगा और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेगा। सरकारी संपत्ति समझे जाने पर कलेक्टर राजस्व रिकार्ड को अपडेट करेगा।
- **यह निर्धारित करने की शक्ति कि क्या कोई संपत्ति वक्फ है**: एक्ट वक्फ बोर्ड को यह अधिकार देता है कि वह जांच और निर्धारित कर सकता है कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। बिल इस प्रावधान को समाप्त करता है।
- **वक्फ का सर्वेक्षण**: एक्ट वक्फ के सर्वेक्षण के लिए एक सर्वेक्षण आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। इसके बजाय बिल कलेक्टरों को सर्वेक्षण करने का अधिकार देता है। लंबित सर्वेक्षण राज्य राजस्व कानूनों के अनुसार संचालित किए जाएंगे।
- **केंद्रीय वक्फ परिषद**: एक्ट केंद्र और राज्य सरकारों और वक्फ बोर्ड्स को सलाह देने के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन करता है। वक्फ के प्रभारी केंद्रीय मंत्री परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। एक्ट के अनुसार परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए और इनमें कम से कम दो महिलाएं होनी चाहिए। इसके बजाय बिल में प्रावधान है कि दो सदस्य गैर-मुस्लिम होने चाहिए। एक्ट के अनुसार परिषद में नियुक्त सांसदों, पूर्व न्यायाधीशों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का मुस्लिम होना आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित सदस्यों को मुस्लिम होना चाहिए: (i) मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि, (ii) इस्लामी कानून के विद्वान, और (iii) वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष। मुस्लिम सदस्यों में से दो महिलाएं होनी चाहिए।
- **वक्फ बोर्ड**: एक्ट बोर्ड के लिए राज्य के मुस्लिम इलेक्टोरल कॉलेज से दो सदस्यों के चुनाव का प्रावधान करता है: (i) सांसद, (ii) एमएलए और एमएलसी, और (iii) बार काउंसिल के सदस्य। इसके बजाय बिल राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह उपरोक्त प्रत्येक पृष्ठभूमि के एक व्यक्ति को बोर्ड में नामित कर सकती है, और उन व्यक्तियों का मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है।

ऋत्विक उपाध्याय
rutvik@prsindia.org

9 अगस्त, 2024

बिल में कहा गया है कि बोर्ड में निम्नलिखित होने चाहिए: (i) दो गैर-मुस्लिम सदस्य और (ii) शिया, सुन्नी और मुसलमानों के पिछड़े वर्गों में से प्रत्येक से कम से कम एक सदस्य। अगर राज्य में बोहरा और आगाखानी समुदायों के वक्फ हैं तो उनके भी एक सदस्य वक्फ में होने चाहिए। एक्ट में प्रावधान है कि कम से कम दो सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। बिल में कहा गया है कि दो मुस्लिम सदस्य महिलाएं होनी चाहिए।

- **ट्रिब्यूनल की संरचना**: एक्ट के तहत राज्यों को वक्फ पर विवादों के समाधान के लिए ट्रिब्यूनल बनाना होता है। वर्ग-1 रैंक के जज, जिला, सत्र या सिविल जज को इस ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष होना चाहिए। अन्य सदस्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के बराबर एक राज्य अधिकारी, और (ii) मुस्लिम कानून और न्यायशास्त्र का जानकार व्यक्ति। बिल ट्रिब्यूनल की संरचना को बदलता है। वह सदस्यों के रूप में निम्नलिखित का प्रावधान करता है: (i) इसके अध्यक्ष के रूप में एक वर्तमान या पूर्व जिला न्यायालय न्यायाधीश, और (ii) राज्य सरकार के संयुक्त सचिव रैंक का एक वर्तमान या पूर्व अधिकारी।
- **ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ अपील**: एक्ट के तहत, ट्रिब्यूनल के निर्णय अंतिम होते हैं और न्यायालयों में इसके निर्णयों के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। बोर्ड या पीड़ित पक्ष के आवेदन पर उच्च न्यायालय अपनी मर्जी से मामलों पर विचार कर सकता है। बिल ट्रिब्यूनल के निर्णयों को अंतिम मानने वाले प्रावधानों को हटाता है। ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
- **केंद्र सरकार की शक्तियां**: बिल केंद्र सरकार को निम्नलिखित के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है: (i) पंजीकरण, (ii) वक्फ के खातों का प्रकाशन, और (iii) वक्फ बोर्ड्स की कार्यवाही का प्रकाशन। एक्ट के तहत राज्य सरकार किसी भी समय वक्फ के खातों का ऑडिट करा सकती है। बिल केंद्र सरकार को कैग या किसी नामित अधिकारी से इनका ऑडिट कराने का अधिकार देता है।
- **बोहरा और आगाखानी वक्फ बोर्ड**: एक्ट के तहत अगर राज्य में शिया वक्फ राज्य की सभी वक्फ संपत्तियों या वक्फ आय का 15% से अधिक है तो सुन्नी और शिया संप्रदायों के लिए अलग-अलग वक्फ बोर्ड बनाया जा सकता है। बिल आगाखानी और बोहरा संप्रदायों के लिए भी अलग-अलग वक्फ बोर्ड की अनुमति देता है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार की गई है। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी की मूल रिपोर्ट से इसकी पुष्टि की जा सकती है।